कार्यालय जनपद न्यायाधीश ,जौनपुर

निविदा हेतु आवश्यक सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश ,जौनपुर, के अनुमोदन दिनांक 17.05.2024 के अनुसार सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु जनपद न्यायालय परिसर स्थित वाहन स्टैण्ड डी0एम0आवास गेट की नीलामी के लिए दिनांक 24.05.2024 के अपराह्न दो बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है । प्राप्त निविदाए दिनांक 27.05.24 को समय 10.30 बजे अध्यक्ष नीलामी समिति के विश्राम कक्ष में खोले जायेगे।

वाहन स्टैण्ड डी0एम0 आवास गेट की नीलामी के लिए न्यूनतम बोली की धनराशि एवं धरोहर की धनराशि निम्नवत निर्धारित की गयी है।

क्रम सं0	दुकान/प्रतिष्ठान का विवरण	वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत नीलामी की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित न्यूनतम बोली धनराशि	अर्नेस्ट मनी की धनराशि
1	2	3	4	5
	वाहन स्टैण्ड (डी0एम0आवास गेट)	21,00,000–00	21,00,000–00	4,25,000–00

उक्त नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों/ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तो का पालन अनिवार्यतः करना होगा

1– निविदा दाता/अभ्यर्थी के विरूद्ध विगत किसी वर्ष के संबंध में कोई धनराशि अवशेष नहीं होनी चाहिए।

2– निविदा दाता/अभ्यर्थी को दिनांक 24.05.24 को 2.00 बजे तक उपर स्तम्भ 4 में अंकित धनराशि बतौर प्रतिभूति/धरोहर के नकद रोकड़ के रूप में नजारत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।

3– निविदा दाता/अभ्यर्थी को निविदा के साथ दिनांक 24.05.24 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास, हैसियत एवं चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापित फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को नोटरी शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में दण्डनीय अपराध के संबंध में विचारण नहीं चल रहा है और उसे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित अथवा दोषसिद्ध नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी पुलिस थाना में पंजीकृत अभियोग की विवेचना लम्बित नहीं है।

4– उपरोक्त वाहन स्टैण्ड के संबंध में स्वीकृत निविदा की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 3 समान भागों में जमा करना अनिवार्य होगा।

5– स्वीकृत निविदा के प्रथम भाग में धरोहर की धनराशि बतौर प्रथम किस्त के रूप में समायोजित कर ली जायेगी ।

6– निविदा दाता/अभ्यर्थी सम्पूर्ण स्वीकृत निविदा की धनराशि स्वच्छया एक मुश्त जमा कर सकता है किन्तु स्तम्भ 3 में अंकित शर्तों में कोई छुट नहीं दी जायेगी।

7– नीलामी की अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त संबंधित निविदा दाता/ठेकेदार को निम्नांकित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

1– ठेकेदार को नियमानुसार जनरल स्टैम्प पर एक अनुबन्ध पत्र लिखना होगा।

2– किसी ठेकेदार को नीलामी स्वीकृत दुकान संचालित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को सीनान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

3– दुकान का संचालन अस्थायी निर्माण पर किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में ठेकेदार को अपने व्यय पर दुकान स्वयं हटाना होगा अन्यथा दुकान हटाने में होने वाले व्यय की वसूली दुकानदार से की जायेगी।

4– संबंधित दुकान के संबंध में राज्य सरकार/स्थानीय निकाय का देय कर यदि कोई हो का भुगतान दुकानदार को स्वयं करना होगा।

5– ठेकेदार को ठेके की जमीन पर कोई अधिकार नहीं होगा।

9– संबंधित प्रतिष्ठान का निरीक्षण जनपद न्यायाधीश, प्रभारी अधिकारी नजारत अथवा जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय समय पर किया जायेगा।

8– उपरोक्त क्रमांक 4 में दर्शायी गयी अवधि में देय धनराशि जमा न किये जाने की दशा में संबंधित प्रतिष्ठान बन्द करा दी जायेगी तथा वसूली की कार्यवाही नियमानुसार बकाया राजस्व के रूप में की जायेगी।

9– उपर्युक्त नीलामी के द्वारा किसी प्रतिष्ठान/ठेके की अनुज्ञा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने अथवा संशोधित करने का पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश को होगा एवं इस संबंध में उत्पन्न किसी विवाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, जौनपुर को होगा।

(मो0 शारिक सिद्दिकी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय/
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, जौनपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. **Department of information and public relation Lucknow Uttar pradesh as per G.O No. 562/19-2-2007/74(T.C) Dated 04-07-2007**
2. जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. एन.आई.सी. जौनपुर को वेबसाइट पर प्रसारण हेतु।
4. सिस्टम आफिसर जनपद न्यायालय जौनपुर को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड दीवानी न्यायालय, जौनपुर।
6. नोटिस बोर्ड जिला पंचायत कार्यालय, जौनपुर।
7. नोटिस बोर्ड नगर परिषद, जौनपुर।
8. नोटिस बोर्ड जिला चिकित्सालय, जौनपुर।
9. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट, जौनपुर।
10. नोटिस बोर्ड लोक निर्माण विभाग, जौनपुर।
11. नोटिस बोर्ड रेलवे स्टेशन, जौनपुर।
12. नोटिस बोर्ड बस स्टैण्ड, जौनपुर।

(मो0 शारिक सिद्दिकी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय/
अध्यक्ष, नीलामी समिति,